

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक:-प्र02/बजट-01/2013(खंड-1)-
सेवा में,

पटना, दिनांक:-

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय:- राज्य के ग्रामों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण करने हेतु केन्द्रीय प्रक्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के अन्तर्गत कार्य कराने के संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण के विरुद्ध दिनांक-20.03.2026 तक देय सूद के रूप में राशि 4,02,25,598/- (चार करोड़ दो लाख पच्चीस हजार पाँच सौ अठ्ठानवे) रूपये मात्र का भुगतान वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड को करने के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

राज्य के शत-प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण किए जाने के लिए राज्य सरकार, तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लि० एवं केन्द्रीय प्रक्षेत्रों के विद्युत प्रतिष्ठानों के बीच चतुष्पक्षीय समझौता किया गया जिसके तहत ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लि० के द्वारा अनुदान एवं ऋण के रूप में राशि सीधे केन्द्रीय प्रक्षेत्र के विद्युत प्रतिष्ठानों को उपलब्ध कराई जानी है। इस अनुबंध पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। इस अनुबंध पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है। इसके अनुसार आर०ई०सी० लि० विमुक्त राशि राज्य सरकार की ओर से कार्यान्वित करने वाली संस्थानों को सीधे भुगतान कर देगी और यह माना जाएगा कि राज्य को दी गई अनुदान है। साथ ही ऋण एवं उस पर होने वाली ब्याज का भुगतान आर०ई०सी० लि० को राज्य सरकार करेगी। ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य भारत सरकार के दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के तहत केन्द्रीय प्रक्षेत्र के उपक्रम यथा पावरग्रिड कॉरपोरेशन एवं एन०एच०पी०सी० एवं बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०, पटना के द्वारा कार्य किया जा रहा है।

2. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के अन्तर्गत पूर्ववर्ती राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ऋण के रूप में प्राप्त मूलधन के विरुद्ध दिनांक-20.03.2026 तक देय सूद के रूप में राशि 4,02,25,598/- (चार करोड़ दो लाख पच्चीस हजार पाँच सौ अठ्ठानवे) मात्र का भुगतान हेतु आर०ई०सी० लि० से डिमाण्ड प्राप्त है।

3. उक्त के आलोक में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को दिनांक-20.03.2026 तक देय सूद के रूप में राशि 4,02,25,598/- (चार करोड़ दो लाख पच्चीस हजार पाँच सौ अठ्ठानवे) रूपये मात्र का भुगतान आर०ई०सी० लि० को वित्तीय वर्ष 2025-26 में करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इस राशि का भुगतान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को किया जाएगा तथा यह राशि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, पटना को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया माना जाएगा। ऋण की शर्तें निम्नवत होगी:-

- (क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
- (ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
- (ङ) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

5. यह राशि मांग सं०-10, मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज, उपशीर्ष-0016-नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को रूलर इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लि० से लिए गए ऋण के सूद के भुगतान हेतु, विपत्र कोड 10-6801001900016, विषय शीर्ष 55.01-ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
6. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना के द्वारा रूलर इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लि० के HDFC बैंक, के०जी० मार्ग, दिल्ली के चालू खाता संख्या-00030350000574, IFSC कोड HDFC0000003 में किया जाएगा।
7. वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक-7355/वि० (2) दिनांक-05.10.2007 द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।
8. आर०ई०सी० (लि०) को त्रैमासिक ब्याज का भुगतान उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए विपत्र के आधार पर किया जा रहा है। गणना के आधार पर ब्याज मद में अधिक भुगतेय राशि का समायोजन किया जाएगा।
9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या-प्र०2/बजट-01/2013(खंड-1) के पृष्ठ संख्या-103/टि० पर दिनांक-16.03.2026 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुधा गुप्ता),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-प्र०2/बजट-01/2013(खंड-1)

/पटना, दिनांक:-


प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-प्र०2/बजट-01/2013(खंड-1) 1473 /पटना, दिनांक:- 17.03.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) क० लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, पटना/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, पटना/मुख्य परियोजना प्रबंधक, आर०ई०सी०लि०, परियोजना कार्यालय, पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।